

क्रमांक 3323057 / छ.ग. / 2015 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /04/2018

—:आदेश:—

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 407/51/व्हीआईपी/31/स्था./2017 दिनांक 03.02.2018 द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2015/9, दिनांक 04.06.2013 द्वारा श्री श्रीनु रेड्डी "साफ्टबाल" में घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ी को तृतीय श्रेणी अमीन के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश के फलस्वरूप विभागीय छानबीन समिति के अनुशंसा के आधार पर श्री श्रीनु रेड्डी उत्कृष्ट खिलाड़ी को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना अमीन के पद पर वेतनमान 5200-20200/- + ग्रेड वेतन 2200/- (वेतन पनरीक्षण नियम-2017 अनुसूची-एक वेतन मैट्रिक्स लेवल 05 के अनुसार) प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर स्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीनु रेड्डी	श्री वेक्केशवरलु	क्वाटर नं. 42/बी सड़क नं. 16 सेक्टर 2 भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन. नं. 490006	सामान्य	13/06/1992	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव

- 2/- चयन के पश्चात् 06 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जायेगी।
- 3/- किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।
- 4/- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।
- 5/- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 6/- पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्ति होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7/- चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 8/- पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधिया पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।
- 9/- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थी के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

- 10/- अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
- 11/- कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात् अभ्यर्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
- 12/- किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 13/- उपरोक्त अमीनों के लिए इस नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की अवधि परीक्षा अवधि होगी।
- 14/- कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 15/- अमीन के पद पर वरिष्ठता विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन सूची के अनुसार होगी।
- 16/- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 13-14/09/आ.प्र./1/3 दिनांक 29.11.2012 में दिये गये निर्देशानुसार अजा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अजजा 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत रखा गया है तथा यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।



(एच.आर. कुटारे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 04/04/2018

पृ.क्र. 3323067/छ.ग./2016/5499

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन, आयाकट, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल, दुर्ग।
5. जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग छ.ग.।
6. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें एवं समस्त अभ्यर्थियों को उनके ई-मेल पर ऑनलाईन सूचित करें।
7. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव। कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे।
8. संबंधित अभ्यर्थी (पंजीकृत डाक से) श्रीनु रेड्डी, पिता श्री वेक्टेशवरलु, क्वाटर नं. 42/बी सड़क नं. 16 सेक्टर 2 भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन. नं. 490006

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(एच.आर. कुटारे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़, रायपुर